20रु. COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 | भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

352

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

सन्

प्रकरण कमांक I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0346

फुलटायम कंशट्रकसन्स कम्पनी प्राइवेट लि0
जी 8 सिद्वार्थ चेम्बर होज खास नई दिल्ली
प्रबंन्ध संचालक विक्रम भार्गव तनय स्वतंत्र
कुमार भार्गव निवासी गुड़गांव हरियाणा ....निगरानीकर्ता

बनाम

रमाकान्त पिता मोहन लाल कुशवाहा
निवासी ग्राम पहरापुरवा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....उत्तरवादी

चन्द्रेश श्रीवास्तव द्वारा आज दि0 10-1-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 18-1-18 नियत। 10-1-18 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0</u>
<u>विवादित प्रकरण कमांक 12/अपील/2017–18</u>
<u>प्रश्नगत आदेश दिनांक 11.12.2017 एंव 20.12.2017</u>
<u>अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर जिला छतरपुर</u>
<u>संदर्भित प्रकरण कमांक 05/अ–70/2016–17 आदेश दिनांक 31.10.2017 न्यायालय तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0</u>

महोदय,

आवेदक निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है–

निगरानी के तथ्य

01. यह कि भूमि खसरा नं0 786 रकवा 1.214हे0 287/1 रकवा 2.022हे0 खसरा नं0 854 रकवा 1.128हे0 खसरा नं0 855 रकवा 0.745हे0 कुल किता 4 रकवा एकत्र 5.109हे0 स्थित ग्राम पहरापुरवा तहसील राजनगर जिला छतरपुर की आराजी है निगरानीकर्ता कम्पनी भूमि स्वामी है और कम्पनी का मुख्यालय जी 8 सिद्वार्थ चेम्बर होज खास नई दिल्ली है। तथा कम्पनी की भूमि से लगी भूमि उत्तरवादी की खसरा नं0 852/2, 857/2 रकवा कमशः 0.662 व 0.684हे0 कुल किता 2 एकत्र रकवा 1.346हे0 है।

02- यह कि उत्तरवादी अपनी भूमि खसरा नं0 852/2 व 857/2 का सीमांकन कराने बावत् आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रकरण कमांक 25/अ–12/13–14 प्रस्तुत

क्रमशः//2//

BHAGWAT PRASAD KHARE Advocate Chhatarpur

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./छतरपुर/भू.रा./2018/0346

फुलटायम कंशट्रकसन्स कम्पनी विरूद्ध रमाकान्त

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 12/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 11-12-2018 एवं 20-12-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 10-01-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य